

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2256]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936

No. 2256]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**(वाणिज्य विभाग)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

**का.आ. 2828(अ).**—केन्द्रीय सरकार, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 4 और नियम 5 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा (3) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके लोक सभा सदस्य बने रहने तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) भारत सरकार की तारीख 26 फरवरी, 1987 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 123(अ) का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में शीर्षक “नियम 4 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त” के अंतर्गत क्र.सं. 2 तथा 3 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याओं तथा प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. श्री प्रताप सिन्हा  
संसद् सदस्य  
लोक सभा

सदस्य  
(लोक सभा द्वारा निर्वाचित)

- |    |                                                   |                                      |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3. | श्री बी.एस. येदियुरप्पा<br>संसद् सदस्य<br>लोक सभा | सदस्य<br>(लोक सभा द्वारा निर्वाचित)” |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------|

[फा.सं. 5/10/2012-ईपी(एग्री-V)/बागान-घ]

रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में तारीख 26 फरवरी, 1987, संख्याक का.आ. 123(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार संख्यांक का.आ. 327(अ), तारीख 3 फरवरी, 2014 में प्रकाशित की गई थी।

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2014

**S.O. 2828( E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986) read with rules 4 and 5 of the Spices Board Rules, 1987, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Spices Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till he ceases to be a member of the Lok Sabha, whichever is earlier, and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 123(E), dated the 26th February, 1987, namely:—

In the said notification, under the heading, “Appointed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4”, for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

- |     |                                                              |                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| “2. | Shri Prathap Simha,<br>Member of Parliament,<br>Lok Sabha.   | Member<br>(Elected by Lok Sabha)  |
| 3.  | Shri B.S.Yeddyurappa,<br>Member of Parliament,<br>Lok Sabha. | Member<br>(Elected by Lok Sabha)” |

[F. No. 5/10/2012-EP(Agri-V)/Plant-D]

RAJANI RANJAN RASHMI, Addl. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 123 (E), dated the 26th February, 1987 and last by *vide* number S.O. 327(E), dated the 3rd February, 2014.